न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–01 / 2017 पंजियन दि. 02.02.2017

निर्णय दि. 27.09.2017

महारावल महिपालसिंह पिता महारावल स्व.श्री लक्ष्मणसिंह उम्र 86 वर्ष, निवासी उदयविलास, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कम लेण्ड होल्डर, डूंगरपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
3. नगर परिषद्, डूंगरपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद्, डूंगरपुर

––विपक्षीगण

दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र)

अंतर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मोहन पण्ड्या, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार विपक्षी सं. 1व 2 की ओर से
3. श्री महेश जैन एडवोकेट विपक्षी सं. 3 की ओर से

:: निर्णय ::

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर उनके अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से एवं दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) इस आशय से पेश किया गया कि इर्स्टव्हाइल डूंगरपुर स्टेट विलिनिकरण के समय भारत सरकार द्वारा तत्कालिन शासक महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी के पक्ष में उनकी निजी सम्पत्तियों के बाबत् एक इन्वेन्ट्री लिस्ट जारी की गई थी, जिसकी क्रम संख्या 3 पर 'श्री विजयगढ फोर्ट एट डूंगरपुर' नामक निजी संपत्ति होना अंकित है। इस सम्पत्ति पर प्रार्थी के पूर्वज एवं बाद में उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थी का स्वामित्व होकर प्रार्थी का निरन्तर शांतिपूर्ण कब्जा है। यह परफेक्ट टाईटल, स्वामित्व व कब्जा पूर्वजों के समय से निरन्तर व बेरोकटोक चला रूप से निर्विवादित रूप से चला आ रहा है जो आज भी प्रार्थी ही इसका हितधारी होकर प्रार्थी का ही परफेक्ट टाइटल, स्वामित्व व अनवरत लॉफल पजेशन बना हुआ है। इन्वेन्ट्री की इस प्रकार की प्रविष्टि किसी भी प्रकार से चुनौति योग्य नही है एवं इसकी प्रविष्टि में किसी प्रकार से परिवर्धन व परिवर्तन नही किया जा सकता है। श्री विजयगढ फोर्ट एट

जिला कलक्टर डूंगरपुर

डूंगरपुर नामक संपत्ति शहर के दक्षिण की ओर पहाड़ी पर बने धनमाता व कालिका माता मंदिर (जो दी डूंगरपुर स्टेट देवस्थान निधि एक्ट 1948 के अधिन स्थापित "श्री लक्ष्मण देवस्थान निधि" जो प्रार्थी का विरासती निजी ट्रस्ट है इसकी अनुसुची 01 के क्रम संख्या 21 व 22 पर दर्ज होकर अवस्थित है) के पीछे पहाड़ी के छोर पर होकर इसमें एक महल बना हुआ है। यह संपत्ति विशाल पुराने परकोटे के अंदर स्थित है तथा आगे का भाग आंगन के रूप में होकर इसमें प्रवेश हेतु दरवाजा बना हुआ है। इस सम्पत्ति स्थल तक आने जाने हेतु निचे से लेकर पहाड़ी के छोर तक पक्के पत्थरों का रास्ता बना हुआ है। यह संपत्ति प्रार्थी के पूर्वजों के समय से बनी हुई है तथा वर्तमान में इसकी देखभाल हेतु प्रार्थी की तरफ से चौकीदार नियुक्त है।

इन्वेन्ट्री में दर्ज उक्त दावाग्रस्त सम्पत्ति न तो कभी पूर्व में कृषि योग्य रही है न ही वर्तमान में कृषि योग्य है तथा गढ के परकोटे के अन्दर बड़े निर्मित भवन के रूप में होने से राजस्व अभिलेख में न तो कभी दर्ज रही, न ही कभी इसकी आवश्यकता रही, किन्तु भू प्रबन्ध विभाग की तरफ से बन्दोबस्त के तहत् इस दावाग्रस्त सम्पत्ति को बिना किसी आदेश के परिवर्तन करते हुए चक डूंगरपुर तहसील डूंगरपुर के खसरा नम्बर 664 व 666 में गलत रूप से अंकित कर सरकार के पक्ष में बिलानाम गैर काबिल काश्त जमाबंदी में दर्ज किया जबकि भू प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। तैयार की गई जमाबंदी के अनुसार दावाग्रस्त सम्पत्ति के निर्मित भाग को खसरा नम्बर 664 क्षैत्रफल 0.96 हेक्टेयर एवं आंगन वाले खुले भाग को खसरा नम्बर 666 क्षेत्रफल 3.22 हेक्टेयर होना अंकित करते हुए भू–धारक के रूप में श्री सरकार दर्ज किया गया। उक्त दोनों खसरों की दावाग्रस्त संपत्ति जो इन्वेन्ट्री के अनुसार प्रार्थी के निजी स्वामित्व की संपत्ति है जो राजस्व अभिलेख में गलत व अनुचित रूप से उक्त तरह से दर्ज किया गया है, जो वस्तुतः कृषि भूमि नही रही तथा न ही है एवं न ही इसका कभी लगान तय किया गया।

विपक्षी सं. 1 ने अन्य बन्दोबस्ती खसरों के साथ–साथ प्रार्थी के परफेक्ट टाईटल, कब्जे व स्वामित्व की दावाग्रस्त सम्पत्ति के वर्तमान खसरा संख्या 666 की 3.22 हेक्टेयर भूमि को विपक्षी सं. 2 के आदेश दिनांक 02.11.2012 से विपक्षी सं. 3 नगर परिषद् डूंगरपुर को हस्तान्तरित किये जाने से विपक्षी सं. 3 के नाम दर्ज कर ली गई हैं। विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी का स्पष्ट व परफेक्ट टाईटल होने पर भी दावाग्रस्त सम्पत्ति के निर्मित भाग को खसरा संख्या 664 के रूप में गैर गाबिल काश्त गढ़ के रूप में दर्ज कर ली। विपक्षी सं. 1 ने बिना मौके की स्थिति का अवलोकन किये, प्रार्थी को बिना सूने तथा बिना किसी आदेश के गैर कानूनी तरिके से यह कृत्य किया है, जो प्रार्थी के स्पष्ट व परफेक्ट टाईटल, स्वामित्व, लॉफूल निरन्तर कब्जा व सम्पत्ति अधिकारों के विधि विरूद्ध होकर निरस्त व

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर डूंगरपुर

हटाये जाने योग्य है, जिससे दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) को स्वीकार कर चक डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2049–52 में खसरा सं. 664 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज को रद्द कर हटाया जावे तथा पूर्ववत इन्वेन्ट्री लिस्ट की तरह प्रार्थी के टाईटल की निजी सम्पत्ति "श्री विजयगढ फोर्ट एट डूंगरपुर" के रूप में आबादी भूमि की तरह दर्ज किया जावे तथा खसरा सं. 666 में जो अंकन सरकार के पक्ष में विपक्षी संख्या–1 द्वारा किया गया है एवं इसके पश्चात् विपक्षी सं. 2 के आदेश द्वारा यह संपत्ति विपक्षी सं. 3 के पक्ष में नामांकित किये जाने के अंकन को भी रद्द कर हटाय जावे इति।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण सं.1 लगायत 3 को वास्ते जवाब व हेतुक दर्शित करने के लिये जरिये सूचना पत्र दिनांक 08.02.2017 को तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई एवं विपक्षी संख्या–3 की ओर से उनके नियुक्त अभिभाषक ने उपस्थिति दी। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से दस्तावेजात मुताबिक सूची के पेश हुए एवं प्रार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि श्री महेन्द्रसिंह गवाह एडब्ल्यू–1 तथा श्री शंकरनाथ गवाह एडब्ल्यु–2 के शपथ पत्र पेश किये गये। विपखी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब पेश हुआ तथा विपखी संख्या–2 की ओर से जवाब नही पेश करना पेरोकार द्वारा बताया गया जिस पर बहस समायत की गई।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) एवं शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विलिनिकरण के पूर्व डूंगरपुर एक सार्वभौम सम्प्रभूता प्राप्त स्वतंत्र राज्य था, डूंगरपुर राज्य की अपनी निजी संपत्तियां (Private Proprities) थी। विलिनिकरण के समय उसकी सूची (Inventory) बनाई जाकर इसमें निजी संपत्तियों (Private Proprties) का अंकन किया गया था। इस सूची की क्रम संख्या 03 तीन पर "श्री विजयगढ फोर्ट एट डूंगरपुर" अंकित है, जो कि प्रार्थी की निजी संपत्ति है। इस संपत्ति पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से आज तक अविरल एवं निर्बाधित रूपेण काबिज है। मौके पर उक्त भूमि के हाल बंदोबस्त में चक डूंगरपुर में आराजी खसरा संख्या 664 रकबा 0.96 हेक्टेयर गढ बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं खसरा संख्या 666 रकबा 3.22 हेक्टेयर बिलानाम मगरी अंकित किया है जो जमाबंदी संवत् 2049–52 में दर्ज है। आराजी संख्या 664 में पुराना महल बना है तथा आराजी संख्या 666 इसके आंगन के रूप में होकर चारों तरफ परकोटा बना है तथा इसमें प्रवेश हेतु दरवाजा बना है। इस संपत्ति पर आज तक प्रार्थी का कब्जा बना हुआ है तथा संपत्ति की देखभाल व सुरक्षा हेतु चौकीदार नियुक्त है। प्रार्थी की उक्त संपत्ति "विजयगढ" के नाम से जानी जाती है। यह संपत्ति प्रार्थी की निजी संपत्ति होने की पुष्टि इन्वेन्ट्री के साथ ही मौके की

कार्यालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर डूंगरपुर

अवस्थिति एवं दिनांक 28.08.1989 को दूरदर्शन केन्द्र डूंगरपुर तथा जिला कलेक्टर, डूंगरपुर द्वारा लिखे गये पत्रों से भी होती है। प्रार्थी की उक्त निजी संपत्ति के खसरा नं. 664 में गढ अर्थात् विजयगढ स्थित है तथा खसरा नं. 666 इसका परिसर है जो परकोटे से सुरक्षित है। आराजी संख्या 666 को विपक्षी संख्या 1 के प्रस्ताव पर विपक्षी संख्या 2 के आदेश द्वारा विपक्षी संख्या 3 को भूमि हस्तान्तरित की है जो बगैर सुनवाई एवं मौका निरीक्षण की गई है जो प्रारंभ से ही शुन्य हो काबिल निरस्ती के है।

विपक्षी संख्या 3 नगर परिषद् डूंगरपुर ने भी "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" दिनांक 11.01.2017 को जारी किया है, जिसमें उक्त भूमि को पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नही होना माना है तथा यह अनापत्ति पत्र भी प्रार्थी के स्वामित्व की पुष्टि करता है।

प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने आगे यह भी कथन किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88(2) के तहत् दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर को प्राप्त है। न्यायालय जिला कलेक्टर, डूंगरपुर ने पूर्व में भी अपने यहां चले प्रकरण संख्या 13/1991 आदेश दिनांक 30.03.1991 में इन्वेन्ट्री में अंकित ऐसी ही अन्य संपत्ति बाबत् आदेश भी पारित किया है, जिसकी जानकारी विपक्षी सं. 1 व 2 को होकर वे इससे व इन्वेन्ट्री से बाध्य है। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायालय का ध्यान RRD 1995 पृष्ठ 122–123 पारसचन्द बनाम स्टेट, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–4) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4(33) राज./4/81 जयपुर दिनांक 5 फरवरी, 1985 एवं भारत के संविधान की धारा 363 की ओर आकर्षित कराते हुए दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) को स्वीकार फरमतो हुए प्रार्थना पत्र अनुसार दावाकृत भूमि चक डूंगरपुर के खसरा नं. 664 एवं 666 को प्रार्थी की निजी संपत्ति घोषित करने निवेदन किया।

विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार एवं विपक्षी सं. 3 की ओर से उपस्थित उनके योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया। उनकी ओर से अतिरिक्त तथ्य अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नही हुए।

उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपरांत अध्ययन किया गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि डूंगरपुर स्टेट भारत संघ के विलिनिकरण के पूर्व यह एक सर्वाभौम (Sovesign) सत्ता प्राप्त स्वतंत्र राज्य था।

डूंगरपुर राज्य के विलिनिकरण के समय इसके शासक महारावल श्री लक्ष्मणसिंह जी थे। स्व.श्री लक्ष्मणसिंह तत्कालिन शासक (Erstwhile) के पुत्र प्रार्थी श्री महिपालसिंह है। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि डूंगरपुर राज्य के विलिनिकरण के समय तत्कालिन शासक की निजी संपत्तियों की सूची बनाई गई

न्यायालय जिला कलेक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

जिला कलक्टर डूंगरपुर

थी जो Inventory of the Private Proprties of the Ruler of Dungarpur है। इस Inventory के पृष्ठ संख्या 2 के क्रम संख्या 3 पर Description of Property के कॉलम में Shri Vijaygarh fort at Dungarpur अंकित है तथा Decision of the states ministry के कॉलम में personal Property अंकित है। अर्थात् 'विजयगढ' डूंगरपुर के तत्कालिन शासक की निजी संपत्ति रही है। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार यह संपत्ति अब उनके पुत्र प्रार्थी श्री महीपालसिंह में निहित हो वे इस संपत्ति पर काबिज है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह भी प्रमाणित है कि विजयगढ़ फोर्ट एवं इसका परिसर चक डूंगरपुर के खसरा संख्या 664, 666 में स्थित हो यह सम्पत्ति परकोटे से सुरक्षित है, जिसमें आवागमन हेतु दरवाजा बना होकर इसकी सुरक्षा एवं देखभाल प्रार्थी द्वारा नियुक्त चौकीदार द्वारा की जा रही है। यह तथ्य भी प्रमाणित है कि चक डूंगरपुर का खसरा संख्या 666 बिलानाम दर्ज होने से विपक्षी संख्या 2 के आदेश द्वारा विपक्षी संख्या 3 को हस्तान्तरित हुआ है किन्तु विपक्षी संख्या 3 ने अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 11.01.2017 द्वारा पुनः महारावल महिपालसिंह जी के खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि भू-प्रबन्ध के दौरान प्रार्थी को सुना नही गया है एवं न ही विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के नाम भूमि हस्तान्तरण करते समय मौका निरीक्षण ही किया गया है, अन्यथा ऐसी त्रुटि की संभावना नही रहती। न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 13/1991 आदेश दिनांक 30.03.1991 श्री महिपाल सिंह आत्मज स्व.महारावल लक्ष्मणसिंह, भूतपूर्व नरेश डूंगरपुर बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) डूंगरपुर में भी Inventory के क्रम संख्या 2 पर दर्ज संपत्ति को प्रार्थी के नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में भी प्रस्तुत हुई Inventory एवं साक्ष्य/जांच अनुसार वर्णित सम्पत्ति Envintory of the Private Property of the rular of the Dungarpur में दर्ज होने से स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा (क्लेम प्रार्थना पत्र) को स्वीकार किया जाता है तथा मौजा चक डूंगरपुर के खसरा संख्या 666 का विपक्षी सं. 3 के नाम हस्तान्तरण को शुन्य प्रभावी घोषित किया जाकर आराजी खसरा संख्या 664 रकबा 0.96 हेक्टयर एवं 666 रकबा 3.22 हेक्टेयर का स्वामित्व प्रार्थी का घोषित किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अंकन का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर